संलग्नक– 30

क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित क्षेत्र के संबंध मे प्रमाण–पत्र

(52)

प्रमाणित किया जाता है कि रेनुकूट वन प्रभाग के पिपरी रेंज अन्तर्गत मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट–सोनभद्र को प्रथम वार उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या– 4887(2)/14–2–794/72 दिनांक–02.09.1972 द्वारा 15.80 एकड़(6.394 हे0) वन भूमि रिहन्द पावर स्टेशन से रेनुकूट प्लांट तक 132 के0वी0 विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण हेतु 25 वर्षो के लीज पर हस्तान्तरित किये जाने हेतु आदेशित किया गया । उक्त वन भूमि की लीज अवधि समाप्त होने के उपरान्त आगामी 25 वर्षो हेतु भारत सरकार के आदेश संख्या–08बी/04/2074/2000/एफ0सी0/726 दिनांक–06.10.2000 व उ0प्र0 सरकार के आदेश संख्या– 774/14–2–2000–749/72 दिनांक– 02.03.2001 द्वारा (दिनांक–01.04.1997 से 31.03.2022 तक) नवीनीकरण किये जाने संबंधी आदेश जारी किया गया । उक्त लीज समाप्ति की तिथि से आगामी 25 वर्षो हेतु (दिनांक–01.04.2022 से 31.03.2022 तक) पुनः नवीनीकरण किये जाने हेतु संस्थान द्वारा नवीनीकरण प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है । प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव मे प्रभावित 6.394 हे0 वन भूमि के दुगूने अवनत वन क्षेत्र 12.788 हे0 पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है :
–

क्रम संख्या	रेंज का नाम	स्थल का नाम	सकल क्षेत्रफल(हे0मे)	शुद्ध क्षेत्रफल(हे0मे0)
1	अनपरा	वियहवा कम्पार्टमेन्ट संख्या– 8	15.11	12.788

उक्त चयनित क्षेत्रफल पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु तैयार किये गये 10 वर्षीय मॉडल प्राक्कलन के अनुसार 12.788 हे0 या 13 हे0 अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु निर्धारित धनराशि : 13ha x135170= 1757210.00 (मु0 सत्रह लाख सन्तावन हजार दो सौ दस मात्र) का व्यय आयेगा ।

क्षेत्रीय वनाधिकारी
अनपरा
रेनुकूट वन प्रभाग
रेनुकूट–सोनभद्र

(मनमोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेणुकूट वन प्रभाग, रेणुकूट–सोनभद्र